MRA AN USIUNI The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291)

नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, जून 21, 2012/ज्येष्ठ 31, 1934

No. 291]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 21, 2012/JYAISTHA 31, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय शृद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

सा.का.नि. 485(अ).—सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2012 से संबंधित दिनांक 5 जून, 2012 की सा.का.नि. 430(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में पृष्ठ संख्या 2 में क्रमांक 5 पर "उक्त नियमों में फार्म 1 से 31 को निम्नलिखित फार्मों से प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:", को इस प्रकार पढ़ा जाए "उक्त नियमों में फार्म 32 जोड़ा गया है और फार्म 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 को निम्नलिखित फार्मों से प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :—"

[फा. सं. 1/1/2011-सीएल-V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st June, 2012

G.S.R. 485(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India vide G.S.R. 430(E), dated 5th June, 2012 relating to Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2012, in page number 2, in point number 5. for "In the said rules, for Forms 1 to 31, the following forms shall be substituted, namely:—", read "In the said rules, Form 32 has been inserted and for Forms 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, the following forms shall be substituted, namely:—"

[F. No. 1/1/2011-CL-V] RENUKA KUMAR, Jt. Secy.